

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

OFF. RESI.
V.C. : 2570450 2570263
REGI. : 2570301 2570882
F.O. : 2572328 2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/4602015

कल्याणपुर, कानपुर-24
KALYANPUR, KANPUR-24
Dated 30 /12 /2015

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी

आवश्यक / समयबद्ध

विषय: शैक्षिक सत्र 2015-2016 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नवप्रवेशित छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की संख्या, नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के आवेदन पत्रों की संख्या से ज्यादा के सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर के पत्र दिनांक 28.12.2015 एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अनुभाग-3 से जारी शासनादेश संख्या-127/2015/4023/26-03-2015 दिनांक 03.11.2015 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नवप्रवेशित छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के आवेदन पत्रों की संख्या से ज्यादा के सत्यापन कराये जाने विषयक है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचनाएं तैयार करके रखने हेतु सक्षम व्यक्ति को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे आवश्यक पत्रावलियाँ उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर के निरीक्षण के दौरान तत्काल उपलब्ध करायी जा सकें:-

1. छात्र/छात्रा के संस्थान में प्रवेश लेने से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हैं ।
2. छात्र/छात्रा संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा है एवं छात्र किसी अन्य शिक्षण संस्था में अध्ययनरत नहीं है ।
3. छात्र/छात्रा की उपस्थिति नियमित है ।

संलग्नक -यथोपरि ।

भवदीय

(सय्यद हुसैन हुसैन)
कुलसचिव

कार्यालय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

संख्या: /एस0टी0-छा0वृ0सत्या/2015 दिनांक: 28.12.2015

रजिस्टर,
छात्रपति साहूजी महाराज,
कानपुर नगर।

कृपया अवगत कराना है कि वर्ष 2015-16 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अनुभाग-3 से जारी शासनादेश संख्या 127/2015/4023/26-03-2015 दिनांक: 03.11.2015 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत नवप्रवेशित छात्रों के अग्रसारित आवेदन पत्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के आवेदन पत्रों की संख्या से ज्यादा के सत्यापन कराये जाने विषयक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचनाएं तैयार करके रखे, अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान तत्काल उपलब्ध करायी जाए-

1. छात्र/छात्रा के संस्थान में प्रवेश लेने से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण है।
2. छात्र/छात्रा संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा है एवं छात्र किसी अन्य शिक्षण संस्था में अध्ययनरत नहीं है।
3. छात्र/छात्रा की उपस्थिति नियमित है।

(अमित सिंह बंसल)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/
उपजिलाधिकारी सदर
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि:- नायब नाजिर तहसील सदर, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आज ही उक्त पत्र की तामीली प्रत्येक दशा में कराये।

(अमित सिंह बंसल)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/
उपजिलाधिकारी सदर
कानपुर नगर।

AR (Scholarship)
[Handwritten signature]